न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर(राज0)

पीठासीन अधिकारीः— पुष्कर कुमार मित्तल, आर0ए0एस0

दावा सं.ः— 174 / 05

1. रमेश } पिस0 विजेन्द्र
2. महेश }
3. रामवती पत्नी विजेन्द्र
4. रमला }
5. उल्ला } पुत्रीयान विजेन्द्र
6. वीरो }
7. रामवीर पुत्र गिर्राज
8. हरपो पुत्री सामल

जाति जाट निवासी नगला खुशियाल,तहसील व जिला भरतपुर

.................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भरतपुर

.................असल प्रतिवादी

2. नवल पुत्र नत्थी जाति फौजदार निवासी नगला खुशियाल तहसील व जिला भतरपुर
3. जयलाल }
4. श्यामा } पिस0 गोपी
5. पुरूषोत्तम }
6. लालाराम पुत्र नारायन
7. दौलतराम पुत्र तुलाराम
8. भगवती पत्नी भगवत
9. नरायणी पत्नी छोटे
10. बसन्ती पत्नी कुन्दन
11. रामचंद पुत्र गुलाब
12. मूली } पि0 छिंग्गा
13. सूखा }
14. पलयाराम }
15. किशनलाल } पि0 इन्दर
16. वृन्दावन }
17. गोकुल }
18. कमली पत्नी मोहनलाल

जाति ब्राहमण निवासी ग्राम पीरनगर तहसील व जिला भतरपुर

19. ग्यासी पुत्र बहोरी — जाति जाट निवासी ग्राम खैमरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20. राधे पुत्र बहोरी   तहसील व जिला भरतपुर
21. लालो पुत्री बहोरी
22. किन्नो पुत्री बहोरी

................तरतीवी प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955</u>

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–02.01.2018

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 89,89, 188 आरटीए इस आशय का पेश किया है कि वादीगण के हिस्सा 6 विस्वा के आराजी खसरा नम्बर 601 रकवा 40 ऐयर वाके ग्राम मालोनी तहसील भरतपुर में सवत् 2012 से पूर्व से काविज होकर पहले गैरमौरोसी अव गैरखातेदार दर्ज कागजात पटवार है व आ0ख0नं0571 रकवा 25 ऐयर व 572 रकवा 26 ऐयर किता 2 रकवा 51 ऐयर के सम्पूर्ण रकवा वाके ग्राम मालौनी पर भी संवत् 2012 से पूर्व गैरमौरोसी व अव गैरखातेदार है । वादीगण को उक्त रकवा पर काबिज रहते हुए पुस्तैनी समय से आज तक 50 वर्ष से अधिक हो गये हैं इसलिए वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं । अतः वादीगण को आ0मुतनाजा पर गैरखातेदारी के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

असल प्रतिवादीगण राजस्थान सरकार व तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 22 का वादीगण की आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं । तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 22 आराजी खसरा नम्बर 601 रकवा 40 ऐयर में कुल 14 विस्वा हिस्से खातेदार दर्ज रिकार्ड कागजात पटवार है परन्तु सहकाश्तकार होने के कारण इन्हें तरतीवी प्रतिवादीगण बनाया गया है । आराजी मुतनाजा में वादीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज रहने से उनके हकूकों पर प्रतिकूल असर पड रहा है ।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादीगण रमेश,महेश ,रामवती,उल्ला,रमला,वीरो को 1/3 हिस्सा व रामबीर पुत्र गिर्राज को हिस्सा 1/3 व हरपो पुत्री सामल हिस्सा 1/3 मुताविक जमावंदी आराजी खसरा नम्बर 601 रकवा 40 ऐयर वाके ग्राम मालौनी तहसील भरतपुर में गैरखातेदार काश्तकार धोषित किया जावे एवं आ0ख0नं0571 रकवा 25 ऐयर,572 रकवा 26 ऐयर कुल किता 51 ऐयर वाके ग्राम मालौनी पर वादीगण 1 लगायत 6 को 1/3 हिस्सा का,वादी नं0 7 को

1/3 हिस्सा व वादी नं0 8 को 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार गैरखातेदार काश्तकार के स्थान पर घोषित किया जावे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमावंदी 2060–63, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043–62 नकल जमावंदी सम्बत् 2033–36 पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। वादीगण के द्वारा दिनॉक 01.11.2007 को प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 22 तर्क करने की प्रार्थना की गई जिसे स्वीकार किया गया साथ ही असल प्रतिवादी पैरोकार सरकार के द्वारा जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का दावा रिकार्ड से प्राप्त नहीं है । अतः खारिज किया जावे । उभय पक्षों की उपस्थिति में दिनॉक 16.07.2008 को दावा में निम्नांकित तनकियात कायम की गईः–

तनकी नं0 1ः–''आया वादी आ0मुतनाजा पर गैरखातेदारी के इन्द्राज कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के मुश्तहक है'' (वादीगण)।

तनकी नं0 2ः–आया वाद पत्र वादीगण मैन्टेनेबल नहीं है । (प्रति0)

3. दादरसीः–

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य में नियत की गई । साक्ष्यवादी में गवाह रमेश,रणवीरसिंह,नेमसिंह के शपथ–पत्र पेश हुए । दिनॉक 11.01.2013 को साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी में नियत की गई । साक्ष्य प्रतिवादी में कई बार अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य नहीं आने पर दिनॉक 25.11.2013 को साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई ।

पत्रावली पर अभिभाषक वादीगण की एक पक्षीय वहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया । तनकी वाईज विवेचना निम्न प्रकार है :–

तनकी नं0 1ः–''आया वादी आ0मुतनाजा पर गैरखातेदारी के इन्द्राज कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार घोषित करा पाने के मुश्तहक है''। इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है । वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मिलान क्षेत्रफल सवत् 2043–2062,जमावंदी संवत् 2013 एवं सवत् 2033–2036 पेश की है । हाल ख.नं.571 रकवा0.25 एवं 572 रकवा 0.26 गत ख0नं0 585 मिन रकवा 2 बीघा 13 विस्वा से निर्मित हुए हैं । संवत् 2013 में उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण के पूर्वज सांवल पुत्र सुन्दर जाति जाट निवासी नगला खुशहाल गैरमौरोसी एवं संवत् 2033 से 2036 में गैरखातेदार साल 24 दर्ज है । तत्पश्चात् हाल जमावंदी में सांवल के वारिसान गैर खातेदार के रूप में दर्ज हैं । मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है कि हाल ख0नं0 571 व 572 गत खसरा नम्बर 585 मिन से निर्मित हुए हैं ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः उक्त खसरा नम्बरान पर वादीगण को उनके हिस्सा अनुसार गैरखातेदारी से खातेदार घोषित किया जा सकता है ।

क्योंकि वादग्रस्त आराजी पर आर.टी.एक्ट 1955 के प्रभावशील होते समय वादीगण का पूर्वज सांवल गैरमौरूसी होने के कारण स्वतः ही खातेदार हो गया था उसकी केवल घोषणा शेष रही थी । न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 1987 पेज संख्या 202 के अनुसार ऐसे गैरमारूसी व्यक्तियों को आर.टी. एक्ट की धारा 15 एवं 5(43)के तहत खातेदारी देय है । अतः खसरा नम्बर 571,572 पर वादीगण को उनके अभिलिखित हिस्से अनुसार खातेदारी दी जा सकती है ।

किन्तु वादीगण हाल ख0नं0 601 रकवा 40 ऐयर में से 6 विस्वा पर गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार चाहते हैं । लेकिन इनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हाल ख0नं0 601 किस साविक नम्बर से बनाया गया है । इस हेतु मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । रिकार्ड के अभाव में ख0नं0 601 में 6 विस्वा रकवा पर गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाना संभव नहीं है । इस प्रकार यह तनकी वादीगण के हक में आंशिक रूप से ख0नं0 571,572 की सीमा तक निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:–''आया वाद पत्र वादीगण मैन्टेनेबल नहीं है । इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी पर है । परन्तु प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा अपने जबाव के समर्थन में ऐसी किसी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को पेश नहीं किया है । जिससे उसके जबाव के कथनों की पुष्टि हो सके । इसके विपरीत वादीगण द्वारा आर.टी.एक्ट 1955 के प्रभावी होने की तिथि आदिनॉक तक का राजस्व अभिलेख व उसके समर्थन में मौखिक साक्ष्य पेश की हैं । अतः यह तनकी भी वहक वादीगण निर्णित की जाती है ।

3 दादरसी :– वादीगण के पूर्वज सांवल गत ख0नं0 585 मिन रकवा 2 बीघा 13 विस्वा के गैरमौरूसी/मौरूसीदार थे। यह आराजी वादीगण की पैतृक आराजी है जो उन्हें सांवल से विरासतन प्राप्त हुई है । दावा वादीगण ऑशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण ऑशिक रूप से स्वीकर किया जाता है वाके ग्राम मालौनी तहसील भरतपुर स्थित आराजी ख0नं0 571/0.25, 575/0.26 ऐयर कुल किता 2 रकवा 0.51 है0पर वादीगण एक लगायत 6 को 1/3 हिस्सा का एवं वादीगण सं0 7 को हिस्सा का 1/3 हिस्सा का तथा वादी संख्या 8 को 1/3 हिस्सा का गैरखातेदार से खातेदार घोषित किया जाता है । तद्नुसार पर्चा डिक्री कायम हो

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनॉक 02.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पुष्कर कुमार मित्तल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर,भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official